

संख्या शिक्षा - शिमला प्रा0 (2-4)ए(1)1/22- मान्यता प्राप्त -
कार्यालय उप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक,
जिला शिमला- शिमला -171004.
दिनांक शिमला-171004.

209/9-21

22.08.2023.

सेवा में

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
Convent of Jesus & Mary Shimla
खण्ड Shimla-03 जिला शिमला हि0प्र0।

विषय :-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन विद्यालय की मान्यता के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपकी पाठशाला के पत्र संख्या- शून्य दिनांक 12-09-2022 आवेदन और विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार के प्रतिनिर्देश से, मैं Convent of Jesus & Mary Shimla जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को 1-03-2022 से 28-02-2027 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पहली से कक्षा आठवी तक के लिए अनन्तम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ तथा हर वर्ष हेतु क0 सं 019 के अनुसार कार्यावाही करे ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 से आगे विद्यालय की मान्यता या सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011(उपाबन्ध-2) के उपाबन्धों का पालन करेगा।
- सोसाइटी/ विद्यालय, किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगी/करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगी/करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा-
(1) आयु का सबूत न होना ।
(11) यदि ऐसा प्रवेश, प्रदेश के लिए 90 दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात् चाहा गया हो, और
(111) धर्म, जाति या वंश, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर।
- विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि -
(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(11) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा या ना ही उसका मानसिक उत्पीडन किया जायेगा।

(111) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 19 के अधीन यथा अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) निःशक्तता ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताओं के साथ की जाती है और विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, न्यूनतम अहर्ताएं नहीं हैं, मार्च 2015 तक ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक/अध्यापिका अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा/करेगी और

6. विधालय, धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
7. विधालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट, विधालय में उपलब्ध सुविधाओं का अनुपात में छात्रों का नामांकन करेगा।
8. विधालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-
 विधालय परिसर का क्षेत्रफल :- 48,533 Sq. M.
 कुल निर्मित क्षेत्र, :- 14186 Sq. M.
 कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल, :-
 कक्षा के कमरों की संख्या, :- 42
 मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्षा के लिए कमरा, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड -डे -मिल पकाने हेतु रसोई अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेल-कूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता बाधा रहित पहुंच,
9. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विधालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विधालय भवनों या अन्य अवसरचनाओं या कीड़ा स्थलों का, विधालयों के किसी कर्मचारी के निवास के प्रयोजन के सिवाए, दिन या रात्रि के दौरान वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की राजनैतिक या गैर-शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. विधालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा।
12. विधालय को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
13. विधालय के लेखाओं की, किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
14. प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति उप निदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
15. आपके विधालय को आंबटित **मान्यता कोड संख्याक 000220** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विधालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर निदेशक, शिक्षा/उपनिदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएगा।
18. राज्य सरकार अनुपालना के लिए समय-समय पर अतिरिक्त भत्ते विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 (एन 0) उपखण्ड (11) तथा (4) में निर्दिष्ट सभी वैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के प्रबन्धक हर वर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्व-घोषणा पत्र (प्रपत्र में ही हर स्थिति से अवगत करवाया जाए) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे 1 मान्यता के नवीनीकरण हेतु पांच सौ रुपये का शुल्क प्रति वर्ष देय होगा।

पृष्ठांकन
प्रतिलिपि :-

संख्या

दिनांक

शिमला-171004

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
शिमला-4, जिला शिमला।

22.08.2023.

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला -1 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी Shimla-03 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. रक्षक नस्ति।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
शिमला-4, जिला शिमला।

No: EDN-Shimla(Elc)(2-4)A(1)2/07-NOC -20088-96
Office of the Deputy Director of Elementary Education
District, Shimla, Shimla-171004

Dated: Shimla-171004, the

4/6/2009

To The Secretary,

Council for the Indian School,
Certificate Examinations New Delhi,

Reference:-

The application of dated 01.05.2009 submitted by Manager
Simla Jesus and Mary Edu. Society Shimla-2 in r/o issuance of NOC
of state for starting/opening school under the name
of Convent of Jesus and Mary Shimla-2.

Subject:-
Memo.

No Objection Certificate.

In exercise of powers conferred vide Principal Secretary (Elementary Education) to the govt. of Himachal Pradesh Notification No: EDN-C-F(10)3/2006 dated 18-12-2006, for issuance of N.O.C. as per the provision of Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulation) Act 1997 (Act No. 14 1998) and in view of the terms and conditions as provided in H.P. Private Educational Institutions (regulation) rules 2003 notified by the Govt. vide its Notification No:Shiksha-II (Ga) 6-1/98 dated 30-05-2003 which were endorsed vide Directorate of Elementary Education Endst. Nosed (Pry) 3-G-1/99 Vol-III (part) dated 24-9-2005 in respect of private Educational Institutions, the application of the above said applicant has been examined in view of the above said Act and Rules notified for the purpose, followed by spot inspection by the committee and subsequent recommendation. This department has no objection in case the Council for the Indian School Certificate Exam. allows affiliation to the above said institution i.e. Convent of Jesus and Mary Shimla-2 for running Elementary (I to VIII) Classes provided the teachers have been appointed strictly in accordance with the R&P Rules applicable to the State Government Teachers as per its rules / regulation prescribed for the purpose from time to time and other conditions attached therewith.

BY, DIRECTOR OF ELEMENTARY EDUC.,
DISTRICT SHIMLA, SHIMLA 171004.

Indst. No.

Even. Dated Shimla-171004, the

2009

Copy for information to:-

The Director of Elementary Education H.P. Shimla-171005 Shimla-2
Manager Shimla Jesus and Mary Edu. Society District Shimla.

Shymir -
PRINCIPAL
Convent of Jesus & Mary
Shimla-171002

BY, DIRECTOR OF ELEMENTARY EDUC.,
DISTRICT SHIMLA, SHIMLA-171004.